



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60907

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6381/2026

सलमान उर्फ गुड्डू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रीतपाल सिंह, स्वयं प्रकाश ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. कार्यालय की 23.03.2026 की आख्या के मुताबिक, इस अर्जी का नोटिस मुखबिर को खुद दिया गया है। मगर, मुखबिर की तरफ से न कोई आया और न ही उसकी तरफ से कोई जवाबी हलफनामा दाखिल हुआ।

2. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य-विपक्षी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया।

3. यह जमानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 492/2025, बी.एन.एस. की धारा 64(2)(m), 351(2) और 3(2)(va), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट और 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत, थाना नैनी,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ज़िला प्रयागराज में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। न तो एफआईआर और न ही बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत पीड़िता के बयान में घटना की सही तारीख बताई गई है। एफआईआर के अनुसार, आवेदक अक्सर शिकायत करने वाले की बेटी को रोकता है, उसे छेड़ता है और परेशान करता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयानों में काफी सुधार किया है और आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। यह कहा गया है कि एफआईआर और बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़ित के बयानों के बीच ये विरोधाभास इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करते हैं। पीड़ित बालिग है। अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की उम्र 16 साल पाई गई। यह कहा गया है कि आयु निर्धारित करने में त्रुटि की सीमा लगभग दो साल है और इसे अभी आवेदक के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, पीड़ित ने चिकित्सा कानूनी जांच और नमूना संग्रह से इनकार कर दिया। अभी इस आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। आवेदक 21.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन दस्तावेज़ों से उपरोक्त दलीलों को संतोषजनक ढंग से चुनौती नहीं दे सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अदालत ने शुरु में पाया कि न तो एफआईआर और न ही बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत पीड़ित के बयान में घटना की निश्चित तारीख बताई गई है। एफआईआर और बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत पीड़ित के बयानों में बड़ा अंतर है। पीड़ित ने मेडिकल जांच और नमूने देने से मना कर दिया था। अभी आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक छह महीने से ज़्यादा समय से जेल में है और आरोप-पत्र जमा करने के बाद परीक्षण के जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य की तरफ से कोई सही आशंका सामने नहीं आई है कि अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या परीक्षण में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, इसलिए, **मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।**

7. आवेदक सलमान उर्फ गुड्डू, जो उपरोक्त मामले में शामिल है, को अदालत की संतुष्टि के लिए एक निजी मुचलका और समान राशि के दो ज़मानतदार जमा करने पर, इन शर्तों के साथ, ज़मानत पर छोड़ा जाए:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24 मार्च 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”